



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ब.रे.का., कंचनपुर, वाराणसी
PM Shri Kendriya Vidyalaya BLW Kanchanpur Varanasi
के.वि.सं. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
KVS, Ministry of Education, Government of India

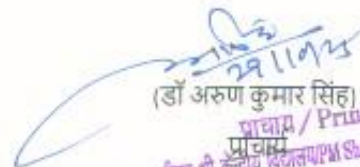


CBSE Aff. No: - 2100033	KV Code: - 1851	State Code: - 475
Website: https://dlwvaranasi.kvs.ac.in Email: kvdlwvns@gmail.com Telephone +91 - 0542 -2300371		
File No: /KV BLW/2025 -2026	Date: - 29/10/2025	

पुराना बेकार फर्नीचर / पाइप / रद्दी लोहा / पुराने पेपर / पुराने अनुपयोगी उपकरणों के निपटारा हेतु नीलामी

“जहां है जैसा है” के आधार पर पुराना बेकार फर्नीचर / पाइप / रद्दी लोहा / पुराने पेपर / पुराने अनुपयोगी उपकरणों इत्यादि के लिए बोली निम्नलिखित नियम शर्तों पर आमंत्रित की जाती है।

1. उपर्युक्त वर्णित सामान पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ब.रे.का. कंचनपुर, वाराणसी के प्रांगण में रखा है अतः इसको दिनांक 29.10.2025 से 30.10.2025 को 09:00 बजे से 11:00 बजे के बीच देखा जा सकता है।
2. निविदा में कोई भी व्यक्ति या फर्म भाग ले सकती है।
3. बोली 30.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे से बोली जाएगी।
4. बोलीदाता अनुबंधित तारीख / समय व स्थान पर मदों को देख सकते हैं।
5. बोली लगाने से पूर्व न्यूनतम निर्धारित मूल्य का दस प्रतिशत सिक्युरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा।
6. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मद बेंची जाएगी। आंशिक बोली किसी मामले में स्वीकृत नहीं होगी।
7. भारत सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आईटी और टेलिकॉम से संबंधित उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि के उचित निस्तारण के लिए बोली लगाने वाले का उत्तरदायित्व होगा। निविदाकार इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निपटान हेतु उत्तरदायी होंगे।
8. सफल बोलीदाता को पूर्ण भुगतान पुष्टि होने के बाद उसी दिन करना है जो कि केन्द्रीय विद्यालय ब.रे.का. कंचनपुर, वाराणसी में ही CS-12 फार्म के माध्यम से जमा होगा। ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी और आपके द्वारा जमा की गई सिक्युरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी।
9. इस विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई सामान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा।
10. सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा कि बोली राशि के पूर्ण भुगतान के बाद 05 दिन के भीतर सभी मदों को उठाना होगा। ऐसा न करने पर विभाग के पास उनकी सम्पूर्ण राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा समस्त मदों को अन्य बोलीदाता को दे दी जाएगी। सफल बोलीदाता को निपटान वस्तुओं को उठाने के लिए वाहन, मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
11. बोलीदाता को बोली के साथ पते का प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड) और पैन कार्ड की प्रति अवश्य संलग्न करनी होगी।


(डॉ अरुण कुमार सिंह)
प्राचार्य / Principal
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय PM Shri Kendriya Vidyalaya
ब.रे.का., वाराणसी / B.L.W., Varanasi